कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विकल्प भरे (Choice Filling) जाने हेतु दिशा–निर्देश।

1 **ओ0टी0पी0 (OTP) बनाये जाने के सम्बन्ध में** – ओ0टी0पी0 हेतु अभ्यर्थी पंजीकरण नम्बर और नीट रोल नम्बर से लॉग–इन करें। लॉग–इन करने के पश्चात् ओ0टी0पी0 अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर आ जाएगा।

2. **विकल्प (Choice Filling) भरे जाने हेतु** – विकल्प भरे जाने हेतु अभ्यर्थी अपना नीट रोल नम्बर और ओ0टी0पी0 से लॉग–इन करे। लॉग–इन करने के पश्चात् विकल्प भरे।

3. **विकल्प बन्द (Choice Locked) किये जाने हेतु**– अभ्यर्थी को विकल्प भरने के पश्चात् उसी ओ0टी0पी0 से विकल्प बन्द करना अनिवार्य होगा। विकल्प बन्द न करने की दशा में काउसिलिंग प्रकिया से बाहर हो जाएगा।

4. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस (कालेजों के फीस–स्ट्रक्चर कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं) तथा सम्बन्धित कालेज के सम्बन्ध में जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के पश्चात् ही च्वाईस लॉक करें।

5. प्रथम चक की काउसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लेने की स्थिति में उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक की काउसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है तो वे पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा कर प्रतिभाग कर सकते हैं।

6. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पंजीकरण धनराशि (Registration Fees) दो बार जमा हो गयी है वह काउसिलिंग के पश्चात् वापसी हेतु आवेदन करें।

7. ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Document Verification) कराते हुए धरोहर धनराशि (Security Money) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करा दिये है, प्रथम चक की काउसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करना चाहते है, ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउसिलिंग हेतु अर्ह होंगे।

8. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रमाण पत्रों के सत्यापन (Document Verification) के पश्चात् प्रथम/द्वितीय चक की काउसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा प्रथम/द्वितीय चक की काउसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, वह अपनी धरोहर धनराशि (Security Money) का डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वितीय काउसिलिंग के पश्चात सम्बन्धित नोडल सेन्टर से प्राप्त कर सकते है।

9. आवंटन के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक/जाति/अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मूल रूप में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा तथा धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी। प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य है।

10. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन/अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tution Fees) महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ(Director General Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow) के पक्ष में तैयार बैंक ड्राफ्ट जो लखनऊ में देय हो, प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

11. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज में प्रवेश होने के उपरान्त प्रवेशित अभ्यर्थियो द्वारा कालेज की छात्रावास/धरोहर धनराशि (Security Money) द्वितीय चक की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् आवंटित कालेज में जमा की जाएगी।

महानिदेशक